झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण विधेयक, 2024

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण विधेयक, 2024

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषायें।
3. न्यायाधिकारण की स्थापना और उसका गठन।
4. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।
5. रिक्त एवं अस्थायी अनुपस्थिति।
6. न्यायाधिकरण के कर्मचारीवृन्द।
7. न्यायाधिकरण का मुख्यालय।
8. यह अधिनियम मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अतिरिक्त होगा।
9. न्यायाधिकरण के निर्देश तथा अधिनिर्णय करना।
10. न्यायाधिकरण की पद्धति और प्रक्रिया।
11. न्यायाधिकरण को न्यायालय की शक्तियाँ होगी।
12. न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय का पुनर्विलोकन।
13. पुनरीक्षण।
14. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।
15. न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी।
16. न्यायाधिकरण के सदस्य एवं कर्मचारीवृन्द।
17. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा–4 एवं 12 लागू होना।
18. कतिपय मामलों में परिसीमन अवधि का विस्तार।
19. सदभाव पूर्वक की कार्रवाई का संरक्षण।
20. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।
21. नियमावली।
22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण विधेयक, 2024

प्रस्तावनाः– ऐसी कार्य संविदाओं, जिसमें राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई उपक्रम पक्षकार (पार्टी) हो, के अंतर्गत उत्पन्न विवाद या विवादों पर अधिनिर्णय करने तथा उससे जुड़े मामलों पर व्यवस्था देने हेतु न्यायाधिकारण के गठन के लिए विधेयक।

चूंकि, राज्य सरकार, सरकारी कंपनियॉ तथा स्थानीय निकायों को बड़ी संख्या मे विकास एवं अन्य परियाजनाओं का निष्पादन करने की आवश्यकता होती है; और चूँकि, ऐसी परियोजनाएँ कार्य संविदा करारों के अधीन निष्पादन हेतु तृतीय पक्ष को सौंपी जाती है; और

चूंकि, संविदा के पक्षकारों के बीच अक्सर विवाद उत्पन्न होते है; और

चूंकि, ऐसी परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु विवादों का त्वरित समाधान करना आवश्यक है,

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय–1

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**– (1) यह अधिनियम झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषायें**– जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) ''माध्यस्थम् अधिनियम'' से अभिप्रेत है माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996।

(ख) ''माध्यस्थम् खंड'' से अभिप्रेत है कार्य संविदा का वह खंड जिसमें वर्तमान अथवा भविष्य में होने वाले मतभेदों को माध्यस्थम् हेतु सुपुर्द करना निर्दिष्ट हो।

(ग) ''पीठ'' से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण पीठ।

(घ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का अध्यक्ष।

(ङ) ''विवाद'' से अभिप्रेत है कार्य अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित संविदा के अंतर्गत कार्य का निष्पादन पूर्णतः अथवा अंशतः करने अथवा नहीं करने, जिसमें संविदा विखंडित करना भी शामिल है, से उत्पन्न होने वाले किसी दावे से संबंधित कोई मतभेत;

(च) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का सदस्य तथा अध्यक्ष।

(छ) ''पक्षकार'' (पार्टी) से अभिप्रेत है कार्य संविदा अथवा सेवा संविदा का कोई पक्षकार (पार्टी), जिसमें उसका उत्तराधिकारी अथवा निष्पादन अथवा प्रशासक अथवा समनुदेशिती भी शामिल है,

(ज) ''विहित'' से अभिप्रेत है धारा–20 के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित।

(झ) लोक उपक्रम से अभिप्रेत है :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–3 में यथा परिभाषित कोई कंपनी जिसमें राज्य सरकार द्वारा धारित समादत्त हिस्सा पूँजी 51% एकावन प्रतिशत से कम हो अथवा कोई कंपनी जो (कंपनी अधिनियम के अर्थान्तर्गत के अंतर्गत) प्रथम उल्लिखित कंपनी समनुषंगी कंपनी हो।

(2) कोई निगम (जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–3 में यथा परिभाषित कोई कंपनी हो) अथवा कोई स्थानीय निकाय जो केंद्रीय या राज्य के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित हो तथा राज्य सरकार के स्वामित्व में हो अथवा उसके द्वारा नियंत्रित हो।

(3) वैसे स्थानीय निकाय जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(ञ) ''न्यायाधिकरण'' से अभिप्रेत है धारा–3 के अधीन गठित झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण।

(ट) "कार्य संविदा" से अभिप्रेत है– राज्य सरकार अथवा किसी लोक उपक्रम के द्वारा किसी भवन या सुपर स्ट्रक्चर, बांध, महाबांध, नहर, जलाशय, तालाब, झील, सड़क, सभी प्रकार के पुलों पुलिया, कारखाना या कार्यशालाओं अथवा यथास्थिति राज्य सरकार या लोक उपक्रम के ऐसे अन्य कार्य इस प्रकार के अन्य संरचना, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, मरम्मति अथवा अनुरक्षण हेतु किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपन्न संविदा और इसमें शामिल है –

(i) ऐसे किसी कार्य के निष्पादन से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के लिए अथवा किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु संविदा चाहे वह किसी विशिष्ट परियोजना या कार्य अथवा किसी प्रकार की परामर्श सेवाओं/सेवा प्रदाताओं के लिए अपेक्षित हो,

(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु परामर्शी सेवा, पर्यवेक्षण, परियोजना परामर्शी, गुणवता सुनिश्चितिकरण, परियोजना प्रबंधन अथवा कोई अन्य प्रबंधकीय सेवाओं सहित, ऐसे किन्ही कार्यों के निष्पादन से संबंधित सेवाएँ मुहैया कराने के लिए की गयी संविदा,

(iii) अधिनियम के अंतर्गत उपयोग में लाये गये ऐसे शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जिन्हें इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु माध्यस्थम् अधिनियम में परिभाषित है वे उनसे व अभिप्रेत होगा जो उनके लिए माध्यस्थम् अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय–2

न्यायाधिकरण का गठन

3. **न्यायाधिकरण की स्थापना और उसका गठन**– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यायाधिकरण स्थापित करेगी, जो झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण कहलायेगी।

(2) न्यायाधिकरण में अध्यक्ष तथा ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होगें जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाए।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति :–

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न रहा हो अथवा न्यूनतम पांच वर्षों तक प्रधान जिला न्यायाधीश (सुपरटाईम स्केल) न रहा हो।

(ख) न्यायाधिकरण का सदस्य के रूप में, नियुक्ति के लिए अर्हित होगा जो–

(i) झारखण्ड सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हो अथवा रहे हो।

(ii) जो अभियंता प्रमुख हो या रहे हो, अथवा जो न्यूनतम दो वर्षो से या तक मुख्य अभियंता हो अथवा रहा हो अथवा अधीक्षण अभियंता के रूप में तीन वर्षों से/तक कार्यरत हो या रहा हो।

4. **न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्त :–**

(1) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य का कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से चार वर्षों के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो पहले समाप्त होगी वह कार्यकाल मान्य होगा।

(2) अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा अन्य निबंधन और शर्त तथा भुगतेय वेतन एवं भते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए,
परंतु अध्यक्ष अथवा सदस्य की नियुक्ति किए जाने के बाद उनके वेतन तथा भतों अथवा सेवा शर्तों में ऐसा कोई फेर बदल नहीं किया जाएगा जो उनके लिए अलाभकर हो।

(3) (क) अध्यक्ष अथवा अन्य कोई सदस्य राज्य सरकार को स्वलिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं।

(ख) यदि राज्य सरकार ऐसा उचित समझती है तो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कार्य अक्षमता, कृत्यों के निर्वहन में शिथिलता, दुर्व्यवहार, विधि के विरुद्ध आदेश पारित करने, पदधारित करते हुए अन्य लाभकारी नियोजन में रहने के कारण उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए हटाया जा सकेगा।

5. **रिक्त एवं अस्थायी अनुपस्थिति**– (1) यदि अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य की मृत्यु, पदत्याग अथवा नियुक्ति के अवधि अवसान अथवा हटाए जाने अथवा किसी अन्य कारणों से कोई रिक्ति होने पर ऐसी रिक्ति की पूर्ति सम्यक अर्हता प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति कर ली जाएगी।

(2) यदि कोई किसी सदस्य बीमारी या अन्य अशक्तता के कारण अस्थायी तौर पर अपने कर्तव्यों के संपादन में असमर्थ हो जाए तो राज्य सरकार उनके कर्तव्यों के संपादन हेतु सम्यक अर्हता प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति एक समय में अधिकतम छः माह के लिए कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उस अवधि में वही शक्ति होगी जो उस व्यक्ति को थी जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गयी हो।

(3) उपधारा (1) या (2) में निर्दिष्ट किसी रिक्ति अथवा अस्थायी अनुपस्थिति के कारण मात्र से न्यायाधिकरण को अविधिमान्य रूप से गठित नहीं माना जाएगा।

6. **न्यायाधिकरण के कर्मचारीवृन्द**– (1) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से न्यायाधिकरण यथोचित संख्या में पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा।

(2) न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के वेतन भते तथा अन्य सेवा शर्तें वहीं होगी जो विहित की जाए।

7. **न्यायाधिकरण का मुख्यालय**– (1) न्यायाधिकरण का मुख्यालय राँची में होगा।

(2) उपधारा(1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्यालय से भिन्न ऐसे किसी स्थान या किन्हीं स्थानों न्यायाधिकरण की बैठक की जा सकेगी, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से न्यायाधिकरण द्वारा नियत की जाए।

अध्याय–3
न्यायाधिकरण को निर्देश एवं उसकी प्रक्रिया

8. **यह अधिनियम माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अतिरिक्त होगा**–

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इसका कोई भी उपबंध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अतिरिक्त और अनुपूरक होगा और यदि इसमें अंतर्विष्ट कोई उपबंध माध्यस्थम् अधिनियम का विरोधाभाषी हो तो इस विरोधाभाष की हर तक माध्यस्थम् अधिनियम अभिभावी होगा।

9. **न्यायाधिकरण के निर्देश तथा अधिनिर्णय करना—** (1) संविदा के पक्षकार के बीच जहाँ कोई विवाद उत्पन्न हो वहां, ऐसी संविदा में कोई माध्यस्थम् खंड हो अथवा नहीं, ऐसा विवाद उत्पन्न होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर विवाद का कारण एवं साक्ष्य तथा यथाविहित फीस के साथ कोई भी पक्षकार ऐसे विवाद का लिखित निर्देश, माध्यस्थम् के लिए न्यायाधिकरण को करेगा।

(2) उपधारा–(1) के अधीन निर्देश (आवेदन) प्राप्त होने पर, यदि यथोचित जांच के बाद न्यायाधिकरण का समाधान हो जाए कि निर्देश से संबंधित इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है तो वह ऐसे निर्देश को स्वीकार कर सकेगा और जहां न्यायाधिकरण का समाधान न होता हो वहां वह निर्देश को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर सकेगा।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन न्यायाधीकरण निर्देश को स्वीकार करता हो वहां यदि आवश्यक हो तो साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात तथा अभिलेख के अवलोकनोपरांत तथा पक्षकारों को अपना तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, कारण के साथ अधिनिर्णय अथवा अंतरिम अधिनिर्णय करेगा।

(4) न्यायाधिकरण सुनवाई हेतु स्वीकार किए गए निर्देश (आवेदन) पर कार्य प्रारंभ करने, कार्यवाही करने और अधिनिर्णय करने में सभी युक्तियुक्त पंचाट घोषित करने में यथासंभव शीघ्रता बरतेगा और यह प्रयत्न करेगा कि निर्देश न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से 4 माह के भीतर अधिनिर्णय कर दिया जाए।

(5) न्यायाधीकरण द्वारा किया गया अधिनिर्णय जिसमें अंतरिम अधिनिर्णय भी शामिल है, यदि धारा 12 या 13 के अधीन कोई आदेश किया गया हो तो उसके अध्यधीन, अंतिम होगा ओर विवाद के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

(6) धारा–12 अथवा 13 के अधीन किए गए आदेश, यदि कोई हो, द्वारा संतुष्ट या परिवर्तित अधिनिर्णय, जिसमें अंतरिम अधिनिर्णय भी शामिल है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा–2 के अर्थ अंतर्गत मूल अधिकारितावाले उस प्रधान न्यायालय की डिक्री मानी जाएगी जिसकी स्थानीय सीमा में अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय किया गया हो और तदनुसार उसका निष्पादन किया जाएगा।

10. **न्यायाधिकरण की पद्धति और प्रक्रिया**– (1) न्यायाधीरण राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अपनी पद्धति और प्रक्रिया, जिसमें पीठों का गठन न्यायाधिकरण या उसकी पीठ द्वारा चलायी जा रही कार्यवाही के निष्पादन इस बात के होते हुए भी उसके दौरान न्यायाधिकरण या पीठ के सदस्य के रूप में बैठने वाला व्यक्ति बदल गया हो, अंतरिम अधिनिर्णय करने, न्यायाधिकरण या उसकी पीठ के समक्ष श्रोता का अधिकार, किसी प्रोसेस फीस की लेवी, लागत संबंधी अधिनिर्णय करने तथा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रभावी प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन भी शामिल है, के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के संगत विनियम बना सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएगे।

(3) न्यायाधिकरण के कृत्यों का निर्वहन उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार गठित एक या एक से अधिक पीठों द्वारा किया जा सकेगा।

(4) किसी मामले विशेष में यदि निर्णय में सदस्यों अथावा पीठों में मतांतर हो, तो निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, यदि बहुमत हो, किंतु यदि सदस्य बराबर–बराबर विभक्त हो, तो वे अपनी मत–भिन्नता के बिंदु या बिंदुओं का उल्लेख करेंगे और मामला न्यायाधीकरण के अध्यक्ष द्वारा एक या न्यायाधिकरण के एक से अधिक सदस्यों को ऐसे बिंदु या बिंदुओं पर सुनवाई के लिए सौंपा जाएगा और तदनुसार उस बिंदु या उन बिंदुओं पर निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर जिसमें पहली बार सुनवाई करने वाले सदस्यों का मत भी शामिल होगा, जिया जाएगा।

11. **न्यायाधिकरण को न्यायालय की शक्तियाँ होगी**– इस अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ न्यायाधिकरण को वही शक्तियॉ होगी जो निम्नलिखित मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है, यथा :–

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर कराना, तथा शपथ पर उसका परीखण करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) गवाहों के परीक्षण हेतु कमीशन निर्गत करना।

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित की जाए,

12. **न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय का पुनर्विलोकन**– (1) न्यायाधिकरण स्वप्रेरणा से अथवा किसी अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय से व्यथित किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर अपने अधिनिर्णय या अंतिरम अधिनिण्रय का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो उसे न्यायासंगत और उचित लगे:–

परंतु किसी पक्षकार द्वारा किया गया ऐसा आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जबतक कि न्यायाधिकरण का यह समाधान नह हो जाए कि ऐसा कोई नया और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य उजागर हुआ है जो सम्यक तत्परता बरते जाने के बावजूद ऐसे पक्षकार की जानकारी में नहीं था अथवा ऐसे पक्षकार द्वारा उस समय पेश नहीं किया जा सका जब प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उसके द्वारा अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय किया गया और अभिलिखित किया गया अथवा कोई भूल या त्रुटि रह गयी हो अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण हो :

परंतु यह भी कि, ऐसे किसी अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय में कोई परिवर्तन या पुनरीक्षण तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि हितबद्ध पक्षकारों को हाजिर होने और ऐसे परिवर्तन या पुनरीक्षण के समर्थन में सुने जाने की नोटिस न दे दी गयी हो।

(2) अधिनिर्णय अथवा अंतरिम अधिनिर्णय से व्यथित किसी पक्षकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन का आवेदन अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय किए जाने की तारीख से 90 दिनों के भीतर ही किया जाएगा।

13. **पुनरीक्षण**– (1) उच्च न्यायालय किसी भी समय स्वप्रेरणा से अथवा न्यायाधिकरण अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय या पुनिर्विलोकन व्यथित किसी पक्षकार द्वारा अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय या अधिनियम के अधीन पुनर्विलोकन किए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर आवेदन किए जाने पर निण्रय या ऐसे किसी मामले का अभिलेख की मांग कर सकेगा और यदि ऐसा प्रतीत हो कि न्यायाधिकरण ने, जिसमें यथास्थिति अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय या पुनर्विलोकन किया गया।

(क) ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है,

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध यप से अथवा तत्यात्मक अनियमितता के साथ किया है तो उच्च न्यायालय समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन की अपनी शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय को वहीं शक्तियॉ होगी और यह यथासंभव उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो शक्तियॉ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा–115 के अधीन उसे हो या जो उस संहिता की धारा 115 के अधीन अपनाई जाती हो, और न्यायाधीकरण इस प्रयोजन हेतु उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय मानी जाएगी।

14. **न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन–** (1) धारा–13 के द्वारा अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी सिविल न्यायालय ऐसे किस प्रश्न पर विचार करने या निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके लिए अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन न्यायाधीकरण विचार करने, निर्णय करने के लिए शक्ति प्रदत्त हो। इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुशरण में की गयी या की जानेवाली किसी कार्रवाई के विरूद्ध किए गए अनुरोध पर किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश (इंजक्शन) नहीं किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा किसी अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय अथवा आदेश अथवा की गयी कार्यवाही पर किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई आपति नहीं की जाएगी।

अध्याय–IV

विविध

15. **न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी–** न्यायाधिकरण के समक्ष होनेवाली भारतीय दण्ड संहिता की धारा – 193 एवं 219 के अर्थ अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी।

16. **न्यायाधिकरण के सदस्य एवं कर्मचारीवृन्द–** न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य और पदाधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अर्थ अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

17. **परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा–4 एवं 12 का लागू होना**– धारा–8 की उपधारा–(1), धारा–11 की उपधारा–(2) एवं धारा–12 की उपधारा–(1) में निर्धारित परिसीमा अवधि की गणना करने में यथासंभव परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा–4 एवं 12 के प्रावधान लागू होगे।

18. **कतिपय मामलों में परिसीमन अवधि का विस्तार**– न्यायाधिकरण धारा–9 की उपधारा–(2) के अधीन किसी निर्देश को अथवा यथा स्थिति धारा–12 की उपधारा–(1) के अधीन पुर्नविलोकन के अथवा यथा स्थिति धारा–13 उपधारा–(1) के अन्तर्गत पुनरीक्षण के किसी आवेदन धारा–9 उपधारा–(1), धारा–12 की उपधारा–(2) तथा धारा–13 की उपधारा–(1) में निर्धारित परिसीमन अवधि के उपरांत भी सुनवाई हेतु स्वीकार कर सकेगी यदि पक्षकार पुनरीक्षण हेतु आवेदन ऐसी अवधि के भीतर नहीं देने के यथेष्ट करण थे।

19. **सद्भाव पूर्वक की कार्रवाई का संरक्षण**– राज्य सरकार/न्यायाधिकरण के अध्यक्ष/अन्य सदस्य/पदाधिकारी/सेवक के द्वारा इस अधिनियम अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गए गठित नियम विनियम अथवा आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशसित किसी बात के लिए उनके विरूद्व कोई वाद, अभियोजन अथवा कार्रवाई नहीं होगा।

20. **कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति**– (1) इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा ऐसा उपबंध कर सकेगी जो इस कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन है और जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो।

(2) इस धारा के अधीन विरचित किया गया हरेक आदेश किये जाने बाद यथा शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

21. **नियमावली**– (1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के शर्त के अध्याधीन राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमावली बना सकती है।

(2) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी विषयों या किसी के लिए बनायी जा सकती है:–

(क) धारा–4 की उपधारा–(2) के अधीन एवं अन्य सदस्यों को भुगतेय वेतन, और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते,

(ख) धारा–6 की उपधारा–(2) के अधीन न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को भुगतेय वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्ते,

(ग) धारा–9 की उपधारा–(1) के अधीन निर्देश के प्रपत्र (फारम) तथा उसके साथ दाखिल किये जाने वाले दस्तावेज और अन्य साक्ष्य एवं फीस,

(घ) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में न्यायाधिकरण धारा–11 के खंड (घ) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी,

(ड़) कोई अन्य विषय जिसे विहित करना हो या जो विहित की जाय।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष कम से कम तीस दिनों वाले सत्र में रखा जाएगा एवं राज्य विधानमंडल द्वारा इस सत्र में रखा जाएगा एवं राज्य विधानमंडल द्वारा इस सत्र में जिसमें वे. रखे गये हो अथवा ठीक बादवाले विखण्डित या उपान्तरित किये जाने के अध्यधीन होंगें।

(4) राज्य विधानमंडल द्वारा इस प्रकार किया गया कोई विखण्डन/उपान्तरण राजपत्र में प्रकाशित किया जाऐगा और तदुपरान्त प्रभावी होगा।

22. **अधिनियम अध्यारोही प्रभाव**– किसी भी अन्य विधि, नियम, आदेश स्कीम या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व अथवा उपरांत किए गए संविदा–करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होतं हुए भी इस अधिनियम की धारा–2 (ड़) में यथा परिभाषित किसी विवाद, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाएगा, और किसी भी संविदा में माध्यस्थम–खंड नहीं होनं का यह प्रभाव नहीं होगा कि कोई विवाद इस अधिनियम के दायरे से अपवर्जित कर दिया गया है।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड राज्य के सभी विभागों के अन्तर्गत कार्य संविदाओ के अन्तर्गत उठे विवादों के समाधान हेतु माध्यस्थम् न्यायाधिकरण गठित करने की परिकल्पना की गयी है।

इस न्यायाधिकरण के गठन के फलस्वरूप कार्य संविदाओं के अधीन संवेदकों तथा संबंधित विभाग/निगम के बीच उठे विवादों के त्वरित समाधान हेतु त्वरित पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो सकेगा। न्यायायिकरण सुनवाई हेतु स्वीकार किये गये आवेदन पर चार माह के भीतर अधिनिर्णय घोषित करने का प्रयत्न करेगा।

झारखण्ड लोक कार्य संविदा माध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक, 2024 उपर्युक्त उद्देश्य से प्रस्तुत है तथा जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ठ है।

(चम्पाई सोरेन)
भार–साधक सदस्य

झा०रा०मु० राँची (विधि) 13 (A)--200--29-02-2024